राष्ट्रीय इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना

उद्देश्य :– गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 से 64 वर्ष की विधवा महिलाओं को जीविकोपार्जन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।

प्रावधान :–

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 से 64 वर्ष की विधवा महिलाओं को राष्ट्रीय इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 200 रूपये प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है।

कौन लाभ ले सकता है :–

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
- आयु 40 से 64 वर्ष होना चाहिये।

योजना का लाभ कैसे लें :–

- ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत तथा –
- शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय से आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त होगा।
- आवेदन पत्र में निर्धारित सभी प्रमाण पत्रों की पूर्ति आवश्यक है।

.

उपसंचालक
सामाजिक न्याय
जिला डिण्डौरी